>

Title: Need to include Maithili language in the group of languages appearing in the currency notes of the country.

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : 22 दिसम्बर, 2003 को भारत सरकार द्वारा मैथिली को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेपाल सरकार द्वारा मैथिली को दूसरे स्थान में रखा गया है। मैथिली का प्रथम प्रमाण रामायण में मिलता है। ये त्रेता युग में मिथिला नरेश राजा जनक की राज्य भाषा थी। इस प्रकार यह इतिहास की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। प्राचीन मैथिली के विकास का शुरूआती दौर प्राकृत और अपभ्रंश के विकास से जोड़ा जाता है। लगभग 700 ईस्वी के आसपास इसमें रचनायें की जाने लगी। भारत के 4-5 करोड़ लोग मैथिली को मातृ भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं और इसके प्रयोगकर्ता भारत और विश्व के कई देशों में हैं, मैथिली भाषा विश्व में शालीन एवं मिठास पूर्ण भाषाओं में एक मानी जाती है। अष्टम सूची में सम्मिलित होने के बाद भी आज तक मैथिली भाषा को देश की मुद्रा में स्थान प्रदान नहीं किया गया है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि मैथिली भाषा को भी देश की मुद्रा में मुद्रित 15 भाषाओं के साथ सम्मिलित करके मैथिली भाषा को सम्मानित करने का कष्ट करें।